न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 15/2020

1 नाथूदास उम्र 70 पुत्र सोहनदास जाति स्वामी निवासी ढ़ाणी पकोड़ी तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सांवलदास पुत्र हीरादास जाति स्वामी निवासी ढ़ाणी पकोड़ी तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2019
मु.न. 32/2019 बउनवानी नाथूदास बनाम सांवरदास
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.10.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा संख्या 32/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 हैक्टेयर तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में एक ही परिवार व खानदान से है। परिवादिया सैटलमेंट बाहमी बंटवारा के अनुसार उक्त भूमि पर अकेला वादी काबिज है जिसे इस भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादी/अपीलांट ने उक्त वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट ने हाजिर होकर राजीनामा पेश किया व वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा वादी ने वादपत्र के समर्थन में स्वंय व अपने ही परिवार एवं खानदान के मोहनदास, कन्हैयालाल, सत्यनारायण के बयान करवाये। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में अंकित भूमि को पैत्रिक भूमि नही मानते हुए वादपत्र अस्वीकार कर दिनांक 11.12.2019 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट के वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट ने हाजिर होकर दिनांक 21.08.2019 को राजीनामा इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 हैक्टेयर तन ग्राम लिसाड़िया पटवार हल्का लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी, वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। अर्थात वादी के वाद का कोई खण्डन नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया जाने व राजीनामा कर लेने के करण सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानानुसार वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाने योग्य होते हुए भी विचारण न्यायालय ने वाद अस्वीकार करने की डिक्री व निर्णय पारित करके कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में मान्य किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य होकर मृतक भूरादास के वारिस है। इसके बावजूद भी अपने ही मत से अलग राय कायम करते हुए वादी का वाद अस्वीकार कर कानूनी त्रुटी की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट एक ही खानदान से है तथा वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में आयी हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व परिवारजन की पैत्रिक अन्य भूमियां खसरा नम्बर 172,184,185,166,167,168,173,174,175,182,183,189,190,191 वाके लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में अवस्थित है। जो इनके पूर्वजो के नाम है इससे भी स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त भूमि का खुद काबिज खातेदार काश्तकार है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 हैक्टेयर तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित करने का एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अंकित सजरा खानदान से वादी एवं प्रतिवादी एक ही पूर्वज की सन्तान होना प्रमाणित है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.08.2019 को रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 सांवरदास ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वाद कथन स्वीकार कर दावा डिक्री किये जाने में सहमत होना एवं ऐतराज नही होने का कथन किया है यह राजीनामा विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, राजीनामे के अवलोकन के उपरान्त वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय * सीकर *

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 0.24 हैक्टेयर तन ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इस भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 सांवरदास पुत्र हीरादास का नाम हजफ किया जाकर खातेदारी वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर